

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०2/बो0फ0-15/08(खंड-1)-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० (BSPGCL) द्वारा कजरा (लखीसराय) में 185 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 253.85 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1810.34 करोड़ (एक हजार आठ सौ दस करोड़ चौतीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 79.10 करोड़ (उनासी करोड़ दस लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-4545 दिनांक-29.11.2023 द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) द्वारा कजरा (लखीसराय) में 185 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 253.85 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1810.34 करोड़ (एक हजार आठ सौ दस करोड़ चौतीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 80:20 वित्तीय पोषण के तहत 80% अर्थात् 1448.27 करोड़ (एक हजार चार सौ अड़तालीस करोड़ सताइस लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति एवं 20% अर्थात् 362.07 करोड़ (तीन सौ बासठ करोड़ सात लाख) रुपये इक्विटी स्वरूप पूंजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यादेश द्वारा अबतक 1344.962 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० द्वारा **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26** के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 79.10 करोड़ रुपये की मांग गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1** के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1320.00 करोड़ रुपये में से प्रथम किस्त के रूप में 871.20 करोड़ रुपये एवं द्वितीय किस्त के रूप में शेष राशि 448.80 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० (BSPGCL) द्वारा कजरा (लखीसराय) में 185 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 253.85 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1810.34 करोड़ (एक हजार आठ सौ दस करोड़ चौतीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1** के अंतर्गत

9

विमुक्त की गयी राशि में से पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 79.10 करोड़ (उनासी करोड़ दस लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0102-बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4810001900102 विषय शीर्ष 54.01-निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान कार्यान्वयन एजेंसी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि०, पटना को कैनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान, पटना के खाता सं०-0352101041922 एवं IFSC Code-CNRB0000352 में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०2/बो०फ०-15/08 के पृष्ठ संख्या-256/टि० पर दिनांक-22.11.2023 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०2/बो०फ०-15/08(खंड-1) के पृष्ठ संख्या-57/टि० पर दिनांक-14.01.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०2/बो०फ०-15/08(खंड-1) /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०2/बो०फ०-15/08(खंड-1) 27/ /पटना, दिनांक- 19.01.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि०, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।